# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

## <u>बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.</u>

<u>राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 01 / 2021</u>

**प्रार्थी**

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, आबूरोड जिला सिरोही।।

*बनाम*

**अप्रार्थी**

1. श्री किशोर कुमार पुत्र स्व. श्री दौलतराम जाति कहार निवासी उमरणी तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्री प्रकाश चन्द्र पुत्र स्व. श्री दौलतराम जाति कहार निवासी उमरणी के कायम मुकाम–
   - 2.1 श्रीमती आशा पत्नि स्व. श्री प्रकाश चन्द्र जाति कहार निवासी उमरणी तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 2.2 श्री नवीन पुत्र स्व. श्री प्रकाश चन्द्र जाति कहार निवासी उमरणी तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 2.3 श्री गोपाल पुत्र स्व. श्री प्रकाश चन्द्र जाति कहार निवासी उमरणी तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 2.4 श्री प्रवीण पुत्र स्व. श्री प्रकाश चन्द्र जाति कहार निवासी उमरणी तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 2.5 सुश्री पुसा पुत्री स्व. श्री प्रकाश चन्द्र जाति कहार निवासी उमरणी तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 2.6 सुश्री गीता पुत्री स्व. श्री प्रकाश चन्द्र जाति कहार निवासी उमरणी तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 2.7 सुश्री गायत्री पुत्री स्व. श्री प्रकाश चन्द्र जाति कहार निवासी उमरणी तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
3. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री दौलतराम जाति कहार निवासी उमरणी तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
4. श्री हरीश कुमार पुत्र स्व. श्री दौलतराम जाति कहार निवासी उमरणी तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
5. श्री विकास पुत्र स्व. श्री दौलतराम जाति कहार निवासी उमरणी तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
6. श्री शैलेष कुमार पुत्र स्व. श्री दौलतराम जाति कहार निवासी उमरणी तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
7. सुश्री पुष्पादेवी पुत्री स्व. श्री दौलतराम जाति कहार निवासी उमरणी तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
8. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा आबूरोड जिला सिरोही।

<u>*राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970*</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:47:05 IST
Reason: SelfAttested

**उपस्थिति :–**

1. पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही)
2. श्री नारायणलाल कुम्हार, अप्रार्थी अधिवक्ता।

*निर्णय*

दिनांक 17.12.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा उमरणी पटवार मण्डल मानपुर, तह. आबूरोड जिला सिरोही

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

के खसरा नं. 162 रकबा 0.0759 हैक्टेयर किस्म गै.मु. वेरा भूमि तहसीलदार आबूरोड के आदेश क्रमांक/राजस्व/89/1138 दिनांक 02.09.1989 द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी श्री दौलतराम पुत्र श्री सीताराम जाति कहार को नियमन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 161 दिनांक 28.06.1990 द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी श्री दौलतराम पुत्र श्री सीताराम जाति कहार के नाम दर्ज की गई, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थी संख्या एक, तीन, सात एवं दो के वारिसान क्रमशः 2.1 से 2.7 की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणलाल कुम्हार द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया एवं अप्रार्थी संख्या चार से छः एवं आठ की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के कोई उपस्थिति नहीं दी गई। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि मौजा उमरणी के विवादित खसरा नं. 162 रकबा 0.0759 हैक्टेयर किस्म गै.मु.वेरा भूमि का नियमन अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी श्री दौलतराम पुत्र श्री सीताराम जाति कहार को करने में भारी एवं कानूनी भूल की है। यह है कि अप्रार्थी को आवंटन/नियमन की गई भूमि पर अप्रार्थी द्वारा आज दिन तक कब्जा/काश्त नहीं की गई है। यह है कि अप्रार्थी को आवंटन/नियमन के पश्चात नियमानुसार कब्जा सुपूर्द किया जाकर इसके नाम से जरिए नामान्तरकरण रेकर्ड में अमल दरामद किया गया था, परन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटन/नियमन शर्तों की पालना नहीं की गई है और आवंटन/नियमन शर्तों के सर्वथा अनुरुप अप्रार्थी द्वारा उस भूमि पर कृषि नहीं की गई है और न ही कब्जा/काश्त किया जा रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन/नियमन को निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी संख्या एक, तीन, सात एवं दो के वारिसान क्रमशः 2.1 से 2.7 की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणलाल कुम्हार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि वादग्रस्त कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग अप्रार्थीगण अपने बाप दादाओं के समय से करते आ रहे है। उक्त आराजी का कृषि उपयोग पिछले कई वर्षों से हो रहा है, उक्त आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है, मौके पर अप्रार्थीण का ही कब्जा है, हल्का पटवारी के द्वारा गलत व झुठे तथ्यों के आधार पर मौका रिपोर्ट जो लोग अप्रार्थीगण के रंजिश रहते है जिससे मिलकर गलत व झुठे तथ्यों के आधार पर मौका रिपोर्ट तैयार की गई है जो कतई मानने योग्य नहीं है। यह [illegible] पटवारी मानपुर ने अप्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की [illegible] गई है जो कि अप्रार्थीगण की अनुपस्थित मे तैयार [illegible] फर्द बनाते वक्त अप्रार्थीगण को कोई सूचना नही दी गई है, तथा न ही अप्रार्थीगण को [illegible] सुनवाई का अवसर दिया गया है। वादग्रस्त आराजी कृषि योग्य है। अप्रार्थीगण ने काफी रकम लगाकर उपजाऊ बनाई है, तथा उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण काश्त कर रहे है तथा अप्रार्थीगण ने आवंटन / नियमन की सभी शर्तों की पालना की गई है एवं मौके पर अप्रार्थीगण अपने बाप दादाओं के समय पर काबिज होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:47:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

काश्त करते आ रहे है। यह है कि खसरा नम्बर 162 रकबा 0.0759 हैक्टेर किस्म गै. मु. वेरा के पास ही अप्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे की आराजी आई है, जिससे उक्त आराजी मिलाने पर एक बडा चक है। अप्रार्थीगण को नियमानुसार भूमि का आबंटन किया गया था, तथा नामान्तकरण भी विधि अनुसार हुआ है, जिसमें कोई अनियमितता नही रही है एवं अप्रार्थीगण ने नियमानुसार लगान की राशि जमा करवाई। यह कि अप्रार्थीगण के हक में हुए आवंटन तथा नामान्तकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कोई तथ्य को नही छुपाया है। समस्त कार्यवाही विधि अनुरूप हुई। मौके पर अप्रार्थीगण ने काफी रकम का विनियोजन कर भूमि को उपजाऊ बनाया है। तथा उसमें सुधार कार्य किये है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर काश्त कर अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करता हैं। ऐसी दशा में प्रार्थना पत्र आवंटन भू राजस्व कृषि परियोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत की मंशा कें विपरीत होने तथा अवधि बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि उपरोक्त वर्णित भूमि तहसीलदार आबूरोड के आदेश क्रमांक/राजस्व/89/1138 दिनांक 02.09.1989 के द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी श्री दौलतराम पुत्र श्री सीताराम जाति कहार को मौजा उमरणी पटवार हल्का मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा संख्या 162 रकबा 0.0759 हैक्टेयर किस्म गै.मु.वेरा भूमि का कुंआ नियमन किया गया है, जिसकी पालना में नियमन भूमि का कब्जा सुपूर्द किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 161 दिनांक 28.06.1990 के द्वारा नियमन भूमि राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी श्री दौलतराम पुत्र श्री सीताराम जाति कहार के नाम दर्ज की गई।

प्रार्थी पक्ष द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी का उपरोक्त वर्णित भूमि पर कभी भी कब्जा/काश्त नहीं किया है एवं आवंटन/नियमन शर्तो का उल्लंघन किया है। जबकि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त कई वर्षों से चला आ रहा है एवं मौके पर आज भी काबिज काश्त है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से आवंटन शर्तो का उल्लघंन नहीं किया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा यह कथन तो किया गया है कि अप्रार्थीगण का उपरोक्त वर्णित भूमि पर कब्जा नहीं है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी[illegible]ब्जा है अथवा नहीं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पटवारी हल्का [illegible] 07.12.2020 को भी अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। [illegible] सम्बन्ध में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है। पत्रावली पर उपलब्ध [illegible]वेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उपरोक्त वर्णित मौजा उमरणी पटवार हल्का मानपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही की वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 162 रकबा 0.0759 हैक्टेयर किस्म गै.मु. वेरा भूमि का तहसीलदार आबूरोड के आदेश क्रमांक/राजस्व/89/1138 दिनांक 02.09.1989 के द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी श्री दौलतराम पुत्र श्री सीताराम जाति कहार निवासी उमरणी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:47:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

हक में नियमन किया गया है, जिसे निरस्त कराने हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया गया है। चूंकि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रकरण पेश किया जाता है, जबकि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 162 का अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी श्री दौलतराम के हक में नियमन किया गया है, जो प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत परिपोषणीय नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार आबूरोड को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण को किए गए नियमन की मौके पर जाकर एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पुनः नियमानुसार जांच करें। यदि अप्रार्थीगण के हक में किया गया नियमन गलत पाया जाता है तो प्रार्थी उक्त नियमन को निरस्त करांने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:47:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner